

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1249
30 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए
सेल द्वारा छंटनी किए गए श्रमिक

1249. श्रीमती जोबा माझी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

विगत पांच वर्षों के दौरान झारखंड में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) द्वारा कितने ठेका श्रमिक और दैनिक श्रमिकों की छंटनी की गई है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

ठेकेदार द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की कार्य संविदाओं/सेवा संविदाओं के माध्यम से संविदागत मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों को काम पर रखा जाता है। उन्हें सेल द्वारा सीधे काम पर नहीं रखा जाता है। इस प्रकार, झारखंड में औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सेल द्वारा संविदागत मजदूरों/दिहाड़ी मजदूरों की छंटनी का कोई प्रश्न नहीं उठता है।
